

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घडसाना जिला श्रीगंगानगर

बलजिन्द्र सिंह आदि बनाम परविन्द्र सिंह आदि

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या :- 4428/2022

प्रकरण संख्या (GCMS) :- 2022/219

26.05.2022 यह पत्रावली वादीगण की ओर से एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये वकील श्री पर्वत पूनियां के प्रस्तुत करने पर पेश हुई। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर करके प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब करके पत्रावली दिनांक 05.07.2022 को पेश हो।

21.6.22 प्राथीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश करने पर यह पत्रावली आप पेशी में ली गई। प्राथीगण एक वकील प्राथीगण ने निवेदन किया कि पट्टनाराज का आपस में खपीनामा हो चुका है। इसलिए यह वाद पत्र नोप्रेस के माध्यम पर खारिज किया जाये। अवलोकन किया गया। पूर्व में प्राथीगण सुबोचना देवी एवं अक्का कुमाल ने जरिअ अधिवक्ता उप. कोर्ट एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत 0-1 R-18(2) CPC पेश करते हुए कोर्ट प्रतिवादी पट्टनाराज को डेटु निवेदन किया। अंग्रेजी वादीगण स्वयं यह admit कर रहे हैं कि खपीनामा होने के कारण इस वाद में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। अतः जोर सेस के माध्यम पर यह वाद पत्र इस कोर्ट पर खारिज किया जाता है। वाद अतीव तबतक होना चाहती है कि वह खारिज हो जाये।

जराबिन्द नीर
g.bym
21.6.22
Anur...

(अभिव्याज)
उपखण्ड अधिकारी
घडसाना